<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
प्रथम अपील, लक्ष्मीनारायण बनाम लोक सूचना अधिकारी एंव(अति0जिला कलक्टर धौ0)
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (मु0संख्या 07/2022) (जीसीएमएस न0 2022/13)</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये</td></tr>
<tr><td>11-2-2022</td><td>अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने एंव प्रार्थना पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद धौलपुर को अग्रेषित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में पेश की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से मांगी गई सूचना का आवेदन पत्र संलग्न नहीं किया गया था। मांगी गयी सूचना के आवेदन पत्र की प्रति पेश करने हेतु अपीलान्ट को पत्रांक 250 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा लिखा गया जिसके सन्दर्भ में अपीलान्ट ने दिनांक 01.02.2022 को मांगी गयी सूचना का आवेदन पत्र पेश किया। अपीलान्ट की प्रथम अपील दिनांक 02.02.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः अपील/आरटीआई./2021-22/80 दिनांक 08.02. 2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.08.2021 को आवेदन भिजवाया गया था। उक्त आवेदन आवक शाखा के कमांक 9920 दिनांक 17.09.2021 से उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसमें अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 01 लगा0 28 की सूचना चाही गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 01लगायत 28 प्रश्नवाचक बिन्दु होने के कारण इस कार्यालय के पत्र कमांक/संपर्क/सूचना अधि./2021/394 दिनाक 22.09.2021 से अपीलार्थी को लिखा गया कि राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के</td><td></td></tr>
</table>

परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।

अतः हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बिन्दु संख्या 01 लगायत 28 की सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.08.2021 को आवेदन भिजवाया गया। उक्त आवेदन आवक शाखा के कमांक 9920 दिनांक 17.09.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर के कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 01 लगायत 28 की चाही गई सूचना प्रश्नवाचक बिन्दु होने के कारण राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है। अतः उक्त बिन्दुओं के प्रश्नों का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर